रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 76] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 9, 1990/माघ 20, 1911
No. 76] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 9, 1990/MAGHA 20, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पर्यावरण और वन मंत्रालय

पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1990

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(2)(5) के और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5(3)(क) के अधीन एनटाप हिल, मुम्बई में रसायनों के भण्डारकरण का प्रतिषेध करने वाली अधिसूचना ।

का. आ. सं. 116(अ):—पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन अधिसूचना का. आ. 852 (अ) तारीख 7 सितम्बर, 1988 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें एनटाप हिल, मुम्बई में रसायनों के भण्डारकरण पर प्रतिषेध के अधिरोपण के विरुद्ध आक्षेप मांगे गए थे ;

और उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खण्ड (ख) के अधीन आदेश उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खण्ड (क) के अधीन अधिसूचना के एक सौ बीस दिन के भीतर जारी नहीं किया जा सका क्योंकि मामला रिट पिटीशन 12179/85, अर्थात् भारत के उच्चतम न्यायालय में एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ और अन्य और मुम्बई उच्च न्यायालय में 1987 का रिट पिटीशन 3181 के अधीन न्यायाधीन है ।

और माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश तारीख 5-12-89 में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को निदेशित किया था कि वह अधिसूचना सं. का. आ. 852 (अ) तारीख 7 सितम्बर, 1988 के उत्तर में प्राप्त किए गए आक्षेपों पर विचार करे और इस तथ्य के संबंध में कि मामला उस न्यायालय में लम्बित है, कोई आक्षेप किए बिना विनिश्चय करे ;

और 138 आक्षेप प्राप्त किए गए थे जिनमें से 133 प्रतिषेध के विरुद्ध और 5 उसके पक्ष में थे ;

और प्रतिषेध के समर्थन में प्राप्त किए गए 5 अभ्यावेदनों में मैसर्स माउंट स्टिवार्ट टी एस्टेट, मुम्बई के एन्टाप हिल भाण्डागारण क्षेत्र को अर्धथोक किराना बाजार में, न कि परिसंकटमय रसायनों के भाण्डागारण के लिए विकसित करने के सुझाव थे । मुम्बई बचाव समिति ने सघन आबादी वाले क्षेत्र में काम्पलैक्स की अनुचितता का उल्लेख किया था और विस्फोट अथवा दुर्घटना की दशा में परिसंकटों के परिणामों के विरुद्ध चेतावनी दी थी । भारतीय औद्योगिक प्रबन्धक संस्था, बैंक आफ इण्डिया

की सहकारी आवास सोसाइटी लिमिटेड के सदस्यों ने और बाम्बे एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप ने भी समान विचार प्रकट किए थे । तथापि, मुम्बई बचाव समिति को अपरिसंकटमय रसायनों का भण्डार करने में कोई आक्षेप नहीं था ।

और प्रतिषेध के विरुद्ध 133 अभ्यावेदनों में से संस्थागत अभ्यावेदन निम्नलिखित से प्राप्त हुए थे :—

(1) सचिव, पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र सरकार ।

(2) एनटाप हिल वेयरहाउसिंग कम्पनी लिमिटेड का अपने सॉलि-सिटरों के माध्यम से,

(3) बृहत्तर मुम्बई का नगर निगम,

(4) भारतीय रसायन विनिर्माता संगम ;

(5) इण्डियन मर्चेन्टस चैम्बर, और

(6) रसायन और क्षार वणिक संगम ।

प्रतिषेध के विरुद्ध शेष अभ्यावेदन ऐसे व्यावसायियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से भेजे गए थे, जिन्होंने भाण्डागार काम्पलैक्स में कार्यालय या गोदाम के लिए स्थान बुक किए हैं । व्यावसायियों से प्राप्त अभ्यावेदन समान प्रकृति के हैं और अधिसूचना का विरोध करने के लिए आधार रूप में वित्तीय हानि और भाण्डागार स्थानों के लिए आवश्यकता की बात कहते हैं । महाराष्ट्र सरकार और नगर निगम बृहत्तर मुम्बई के विचारों का मुख्य जोर इस बात पर है कि एनटाप हिल, वेयरहाउसिंग कम्पनी लिमिटेड (ए एच डब्ल्यू सी) काम्पलैक्स में अपरिसंकटमय रसायनों के भाण्डागारण से कोई पर्यावरण प्रदूषण होने की संभावना नहीं है । ऐसे रसायन पर्यावरण के लिए हानिकर, अनिष्टकारी गैसों या द्रवों को किसी भी रीति से उत्पन्न नहीं करते हैं । इस बात पर भी जोर दिया गया है कि रसायनों भाण्डागारण के लिए संक्रीकरण दशाओं की परिकल्पना कर ली गई है और नगर निगम, बृहत्तर मुम्बई द्वारा एनटाप हिल वेयरहाउसिंग कम्पनी को मंजूर की गई अनुज्ञप्ति सुरक्षा के लिए रक्षोपायों सहित सशर्त होगी । एनटाप हिल वेयरहाउसिंग कम्पनी ने एनटाप हिल्स में भाण्डागारण काम्पलैक्स की मूल संरचना (जैनेसिस) दी थी और विभिन्न संरचनाओं जैसे विद्युत फिटिंगों, अग्निशमन ब्यौरों आदि पर विशेष बल दिया था । महाराष्ट्र सरकार मुम्बई शहर के घनी बस्ती वाले और वाणिज्यिक क्षेत्रों से, रसायनों का भण्डारकरण हटाने के लिए और आवश्यक अपेक्षित सुरक्षा अध्योपायों के साथ, प्राथमिक रूप से नगर निगम, बृहत्तर मुम्बई के बी और सी वार्डों से, जो अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले और घने रूप से बसे हुए हैं रसायन भण्डार को स्थानान्तरित करने के लिए और भण्डारकरण की व्यवस्था करने के लिए इच्छुक थी । एनटाप हिल्स पर उक्त स्थल का चयन महाराष्ट्र सरकार और नगर निगम, बृहत्तर मुम्बई द्वारा किए गए ब्यौरेवार अध्ययन के पश्चात् किया गया था । प्रायिक भूमि सुधार विनिधान महाराष्ट्र सरकार द्वारा और नगर निगम, बृहत्तर मुम्बई द्वारा 1975-79 के बीच हाथ में लिया गया था । तत्पश्चात् एनटाप हिल्स वेयरहाउसिंग कम्पनी ने नगर निगम, बृहत्तर मुम्बई के मुख्य अग्निशमन अधिकारी, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, भारत सरकार, नागपुर और अन्य संबंधित प्राधिकारियों/विभागों से सम्पर्क किया । एनटाप हिल वेयरहाउसिंग कम्पनी दावा करती है कि उसने रिट पिटीशन संख्या 12179/85, अर्थात् भारत के उच्चतम न्यायालय में एस. सी. मेहता बनाम भारत संघ और अन्य में मुख्य अग्निशमन अधिकारी और मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, भारत सरकार द्वारा अधिरोपित अनुबन्ध पर आधारित योजना में नियमित सुरक्षा अध्योपायों की पूर्ण सूची दे दी है । एनटाप हिल वेयरहाउसिंग कम्पनी ने यह भी प्रतिवाद किया कि भण्डार मूल रूप से पैक की गई दशा में रसायनों के लिए है, न कि वह किसी गैस/कारसिनोजन्य पदार्थों या विस्फोटकों के पुंज भण्डारण या पुनः पैक करने या भण्डार करने के लिए तात्पर्यित हैं और किसी एक समय पर काम्पलैक्स में भण्डार किए जाने वाले रसायनों की कुल मात्रा 5000 मीट्रिक टनों से अधिक नहीं होगी । एनटाप हिल वेयरहाउसिंग कम्पनी का दूसरा मुख्य आक्षेप यह था कि अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती थी क्योंकि मामला मुम्बई उच्च न्यायालय में लम्बित 1987 के दूसरे रिट पिटीशन सं. 3381 में न्यायाधीन था । भारतीय रसायन विनिर्माता संगम, भारतीय वणिक चैम्बर और रसायन तथा क्षार वणिक संगम ने भी वही तर्क प्रस्तुत किए ।

और यह अनुमान लगाना कठिन है कि एनटाप हिल वेयरहाउसिंग कम्पनी ने यह कैसे सुनिश्चित किया कि केवल प्राधिकृत रसायनों का व्यक्तिगत गोदामों में भण्डारण किया जाएगा । यह भी स्पष्ट नहीं है कि विभिन्न प्रकार के रसायनों का अलग-अलग भण्डारण करने वाले व्यवसायी कैसे उनको आबंटित गोदामों में उन सभी रसायनों के भण्डार करने का प्रबन्ध करेंगे । साधारणतया, व्यवसाय के ढांचे में और विशिष्टतः रसायन व्यवसाय के ढांचे में किसी भी व्यवसायी की अन्तर्निहित प्रकृति अपनी कारबार की सूचना को स्वयं तक ही सीमित रखने की होती है । यह विचार करते हुए कि भाण्डागार/कार्यालय के लिए प्रत्येक कारबार स्थान प्रत्येक व्यवसायी के व्यक्तिगत नियंत्रण के अधीन होगा और कोई एकल निकाय व्यापारवर्त की विभिन्न दरों पर रसायनों के विभिन्न परिमाणों के साथ व्यवहार करने वाली हजार व्यक्तिगत फर्मों से अधिक के द्वारा रसायनों के सुरक्षित भण्डारण के लिए, विभिन्न ग्राहकों, विभिन्न प्रदायकर्ताओं और व्यवसाय के विस्तृत रूप से परिवर्तनकारी निबन्धनों और व्यापार की पद्धतियों के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व नहीं ले सकता है, एनटाप हिल वेयरहाउसिंग कम्पनी या किसी अन्य निकाय के लिए एक ही काम्प-लैक्स में बड़ी संख्या वाले व्यक्तिगत व्यावसायियों से संबंधित रसायनों के भण्डारण के संबंध में पूर्ण नियंत्रण रखना असंभव होगा । विभिन्न प्रकार के परिसंकटमय रसायनों की ज्वलनशीलता, अविषालुता, संक्षारकता, अपक्रांतिकता, अस्थिरता और आक्सीकारक प्रकृति का नियंत्रण करने के लिए कोई सुरक्षा पद्धति नहीं है । लोक हित की मांग है कि किसी भी परिस्थिति में परिसंकटमय रसायनों का प्रश्नगत स्थल पर भण्डारण अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए ।

और महाराष्ट्र सरकार ने परिसंकटमय और अपरिसंकटमय रसायनों के भण्डारण के प्रयोजन के लिए एनटाप हिल भाण्डागारण काम्पलैक्स के प्रयोग के पक्षापक्ष पर विचार करने के लिए डा. आर. के. गर्ग की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी । समिति ने सभी पक्षों पर ब्यौरेवार विचार किया और विस्तृत रूप से स्थल का निरीक्षण करने के लिए स्थल का भ्रमण किया । समिति ने अन्य बातों के साथ यह निष्कर्ष निकाला कि इस स्थल पर परिसंकटमय रसायनों का भण्डारण इस भण्डार को एक बड़ा परिसंकटमय संस्थापन बना देगा । समिति ने परिसंकटमय रसायनों के भण्डार को भिन्न स्थल पर स्थानान्तरित करने का सुझाव दिया । उसी समिति ने पश्चात्वर्ती ऐसे अपरिसंकटमय रसायनों की सूची तैयार की जिनका प्रस्तावित भाण्डागारण काम्पलैक्स में भण्डारण के योग्य परिमाणों में, भण्डार किया जा सकता था । इस संदर्भ में गर्ग समिति द्वारा 55 सूचीबद्ध रसायन, भण्डारण के लिए अनुज्ञेय मात्रा के साथ, उपाबंध के अनुसार सूचीबद्ध किए जाते हैं ;

और अब प्राप्त किए गए सभी आक्षेपों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह प्रतिषेध और निर्बन्धन अधिरोपित करती है कि विनिर्माण, भण्डारकरण और आयात नियम 1989 के नियम 2 के खण्ड (ङ) में परिभाषित किसी परिसंकटमय रसायन का, जो उपाबंध में वर्णित परिमाण में रसायन नहीं है, एनटाप हिल भण्डारण काम्पलैक्स में भण्डारण नहीं किया जाएगा और यह कि अनुमोदित रसायनों का भण्डारण गर्ग समिति की सिफारिशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।

अनुबंध

मात्रा सहित वे रसायन जिन्हें वेयरहाउसिंग काम्प्लेक्स, वाडला में भंडार किया जा सकता है

1. क्लोरित विरंजन मृत्तिका	2 टी.ई
2. एल्युमिनियम सल्फेट	50 टी.ई.
3. एनहाइड्राइड स्टोल	25 टी.ई.
4. एस्पिरिन चूर्ण	10 टी.ई.
5. बेरियम सल्फेट	15 टी.ई.
6. बेसिक क्रोम सल्फेट	2 टी.ई.
7. बिटुमेन	10 टी.ई.
8. बोरेक्स	100 टी.ई.
9. सी.एम.सी. (कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज)	5 टी.ई.
10. कैल्शियम क्लोराइड	100 टी.ई.
11. कैल्शियम फ्लुओराइड	3 टी.ई.
12. कैल्शियम ऑक्साइड	75 टी.ई.
13. कैल्शियम सल्फेट	75 टी.ई.
14. चीनी मिट्टी	15 टी.ई.
15. साइट्रिक अम्ल	100 टी.ई.
16. कॉपर सल्फेट	6 टी.ई.
17. टर्टार क्रीम	5 टी.ई.
18. डाइ पोटैसियम फास्फेट	1 टी.ई.
19. डाइसोडियम फास्फेट	2 टी ई
20. एथिल अल्कोहल	5 टी.ई.
21. फेरिक क्लोराइड	10 टी.ई.
22. ग्लास चूर्ण	2 टी.ई.
23. ग्लोबर साल्ट	175 टी.ई.
24. ग्लूकोज तरल	25 टी.ई.
25. हिफ्लो सूपरसेल	50 टी.ई.
26. लैक्टिक अम्ल	20 टी.ई.
27. लैक्टोज	250 टी.ई.
28. लिथोपोन	105 टी.ई.
29. मैग्नेशियम क्लोराइड	10 टी.ई.
30. मैग्नेशियम आक्साइड	2 टी.ई.
31. मेनिटोल	5 टी.ई.
32. मोनो सोडियम ग्लूटामेट	3 टी.ई.
33. ओलिक अम्ल	2 टी.ई.
34. पोटाश एलम	80 टी.ई.
35. पोटाशियम बाइकार्बोनेट	25 टी.ई.
36. पोटेशियम क्लोराइड	45 टी.ई.
37. पैक्टिन	30 टी.ई.
38. पालीसोर्बेट	5 टी.ई.
39. सैलिसिलिक अम्ल	200 टी.ई.
40. सोडियम एसिटेट	5 टी.ई.
41. सोडियम एल्जीनेट	25 टी.ई.
42. सोडियम बाइकार्बोनेट	150 टी.ई.
43. सोडियम कार्बोनेट	150 टी.ई.
44. सोडियम क्लोराइड	75 टी.ई.
45. सोर्बिटाल	100 टी.ई.
46. स्टिरिक अम्ल	10 टी.ई.
47. टैल्कम पाउडर	50 टी.ई.
48. इमली की बीज	50 टी.ई.
49. चर्म शोधन तत्व	10 टी.ई.
50. टर्टारिक अम्ल	50 टी.ई.
51. टिटेनियम डाइ-आक्साइड	100 टी.ई.
52. टैपिओका	25 टी.ई.
53. ट्राइसोडियम फास्फेट	50 टी.ई.
54. मोम	35 टी.ई.
55. जिंक आक्साइड	50 टी.ई.

[मि. संख्या 18011/5/89-एच एस एम डी.]
के. माधव सर्मा, अपर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

(Department of Environment, Forests & Wildlife)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 1990

Notification under section 3 (2) (v) of the Environment (Protection) Act, 1986 and rule 5 (3) (a) of the Environment (Protection) Rules, 1986 prohibiting storage of chemicals in Antop Hill in Bombay.

S.O. 136 (E).—Whereas a notification under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 (Here in after referred to as the said rules) inviting objections against the imposition of prohibition on storage of chemicals in Antop Hill in Bombay was published vide No. S.O. 852 (E), dated the 7th September, 1988 ;

And whereas an order under clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules could not be issued within 120 days of the notification under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules because of the matter being subjudice under Writ Petition 12179|85, namely, M. C. Mehta v|s Union of India and Others in the Supreme Court of India and Writ Petition 3381 of 1987 in the Bombay High Court ;

And whereas the Honourable Supreme Court in its order dated 5-12-1989 directed the Government of India in the Ministry of Environment and Forests to consider objections received in response to the notification No. S.O. 852 (E) dated the 7th September, 1988 and take decision without having any objection in respect of the fact that the matter is pending in that Court ;

And whereas 138 objections were received which included 133 against and 5 for the prohibition ;

And whereas 5 representations received in support of prohibition included suggestions by M|s. Mount Steward Tea Estate, Bombay to develop Antop Hill Warehousing area into a semi wholesale kirana Market and not for storage of hazardous chemicals. The Save Bombay Committee cities inappropriatness of the compplex in densely populated area and warned against the consequences of hazards in case of explosion or accident. The Institution of Industrial Managers India, the members of the Cooperative Housing Society Ltd. of the Bank of India and the Bombay Environmental Action Group have expressed the same views. However, the Save Bombay Committee have no objection to the storing of non-hazardous chemicals ;

And whereas of the 133 representations against the prohibition the institutional ones are from :—

(i) Secretary, Department of Environment, Government of Maharashtra,

(ii) Antop Hill Warehousing Company Ltd., through its solicitors (AHWC),

(iii) The Municipal Corporation of Greater Bombay,

(iv) The Indian Chemicals Manufacturers Association.

(v) The Indian Merchants Chamber, and

(vi) The Chemical and Alkali Merchant Association.

The rest of the representation against the prohibition were by individual traders who have booked offices or godown space in the warehouse complex. The representations from the traders are similar in nature and cite financial loss and need for storage spaces as the basis for opposing the notification. The main thrust of the views of the Government of Maharshtra and the Municipal Corporation of the Greater Bombay is that no environment pollution is likely by the storing of non-hazardous chemicals at Antop Hill Warehousing Company Ltd. (AHWC) complex. Such chemicals do not generate noxious gases or liquids in any manner injurious to environment. It is also emphasised that instrumentation conditions have been envisaged for storage of chemicals and the licence granted by the Municipal Corporation of the Greater Bombay to the AHWC will be conditional with safeguards for safety. The AHWC gave the genesis of the Warehousing Complex at the Antop Hills and highlighted the various construction features like the electrical fittings, fire protection details, etc. The Government of Maharashtra was anxious to remove the storage of chemicals from the congested residential and commercial areas of the Bombay city measures primarily to shift the chemical storage from B and C Wards of Municipal Corporation of the Greater Bombay which are highly congested and densely populated. The said site at Antop Hills was selected after detailed studies conducted by the Government of Maharashtra and the Municipal Corporation of Greater Bombay. The usual land reclamation investment had been undertaken by the Government of Maharashtra and the Municipal Corporation of the Greater Bombay during 1975-79. The AHWC then obtained the approval of the Chief Fire Officer of the Municipal Corporation of the Greater Bombay, Chief Controller of Explosives, Government of India, Nagpur and other concerned authorities|departments. The AHWC claims that they have given the complete list of safety measures incorporated in planning based on the stipulation imposed by the Chief Fire Officer and the Chief Controller of Explosives, Government of India in Writ Petition No. 12179|85, namely, M. C. Mehta versus Union of India and others in the Supreme Court of India. The AHWC also contested further that the storage is only for chemicals in their original packed condition and not meant for any bulk storage or repacking or storing of any gases|carcinogenic substances or explosives and that the total quantity of chemicals to be stored in the complex at any one time is not more than 5000 metric tonnes. Another main objection of AHWC was that the notification could not be issued since the matter was subjudice in another Writ Petition No. 3381 of 1987 pending in Bombay High Court. The Indian Chemical Manufacturers Association, the Indian Merchants Chamber and the Chemical and Alkali Merchant Association presented the same arguments.

And whereas it is difficult to conceive how the AHWC could ensure that only authorised chemicals would be stored in the individual godowns. It is also not clear how the traders storing different types of chemicals needings segregation would manage to store all these chemicals in the godowns alloted to them. In the pattern of trade in general and the chemical trade in particular the inherent nature of a trader is to keep his business information to himself. Considering that each business space for storage| office will be under the individual control of each trader and no single body could take full responsibility for safe storage of chemicals by over a thousand individual firms dealing in different quantities of chemicals at different rates of turn over, different different suppliers and widely varying terms of trade and methods of business, the AHWC or any other body will find it impossible to exercise complete control over the storage of chemicals belonging to a large number of individual traders in the same complex. There is no safety system to control flammability, toxicity, corrosivity, reactivity, instability and oxidizing nature of several of the hazardous chemicals. Public interest demands that under no circumstances should hazardous chemicals be allowed to be stored at the site in question ;

And whereas the Government of Maharshtra appointed a committee headed by Dr. R. K. Garg to look into the pros and cons of the use of Antop Hill Warehousing complex for the purpose of storage of hazardous and non-hazardous chemicals. The Committee has gone into all the details and visited the site to conduct site inspection at length. The Committee has concluded, among other things, that storage of hazardous chemicals at this site would make this storage a major hazard installation. The Committee suggested shifting of the storage of hazardous chemicals to a different site. The same Committee later prepared a list of chemicals which could be

stored in the proposed warehousing complex along with the quantities that could be stored. The 55 chemicals listed by the Garg Committee in this context along with permissiable quantity for storage are listed as per Annexure;

And whereas now all objections received have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules, the Central Government hereby imposes prohibition and restrictions that no hazardous chemical as defined in clause (c) of rule 2 of the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals Rules, 1989, not being a chemical in the quantity mentioned in Annexure, shall be stored in Antop Hill Warehousing Complex and that the storage of approved chemicals shall be regulated in accordance with the recommendations of the Garg Committee.

ANNEXURE

Chemicals, with quantity, that can be stored at the Warehousing Complex, Wadala

1. Activated bleaching earth	2 te
2. Aluminium sulphate	50 te
3. Anhydride rutile	25 te
4. Aspirin powder	10 te
5. Barium sulphate	15 te
6. Basic chrome sulphate	2 te
7. Bitumen	10 te
8. Borax	100 te
9. C.M.C (Carboxy methyl cellulose)	5 te
10. Calcium chloride	100 te
11. Calcium fluoride	3 te
12. Calcium oxide	75 te
13. Calcium sulphate	75 te
14. China Clay	25 te
15. Citric acid	100 te
16. Copper sulphate	6 te
17. Cream of tartar	5 te
18. Dipotassium phosphate	1 te
19. Disodium phosphate	2 te
20. Fatty alcohols	5 te
21. Ferric chloride	10 te
22. Glass wool	2 te
23. Glauber salt	175 te
24. Glucose liquid	25 te
25. Hillo supercel	50 te
26. Lactic acid	20 te
27. Lactose	250 te
28. Lithopone	105 te
29. Magnesium chloride	10 te
30. Magnesium oxide	2 te
31. Mannitol	5 te
32. Mono sodium glutamate	3 te
33. Oleic acid	2 te
34. Potash alum	80 te
35. Potassium bicarbonate	25 te
36. Potassium chloride	45 te
37. Pectin	10 te
38. Polysorbate	5 te
39. Salicylic acid	200 te
40. Sodium acetate	5 te
41. Sodium alginate	25 te
42. Sodium bicarbonate	150 te
43. Sodium carbonate	150 te
44. Sodium chloride	75 te
45. Sorbitol	100 te
46. Stearic acid	10 te
47. Talcum Powder	50 te
48. Tamarind seed	50 te
49. Tannin extract	10 te
50. Tartaric acid	50 te
51. Titanium dioxide	100 te
52. Tapioca	25 te
53. Trisodium phosphate	50 te
54. Wax	35 te
55. Zinc oxide	50 te

[F.No. 18011/5/87—HSMD]

K. MADHAVA SARMA, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990